

प्रपत्र-VII
आदेश-पत्र
(नियम 18 देखें)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय नं०-02 के न्यायालय में,

केस नं०— **Siswan C III 1775/2026**

राज्य बनाम:— **मंजेश कुमार यादव**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) 2022 की धारा-37 के तहत

1. अभियुक्त का नाम — **मंजेश कुमार यादव**
2. उम्र — **29 वर्ष करीब**
3. पिता का नाम — **कामेश्वर यादव**
4. पता — **सा०-रामपुर, थाना-एम०एच० नगर, जिला-सिवान**
5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान—**08-08-2026, समय-22:00 बजे, स्थान- आसड़ , थाना- एम०एच० नगर , जिला-सिवान ।**

6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि—**09-08-2026**

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट/चिकित्सीय रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक—**08-08-2026** को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह **आसड़ , थाना- एम०एच० नगर , जिला-सिवान ।** (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत लिया गया।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के चुक होने पर **30 (तीस)** दिनों के साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथि:—**09-08-2026**

स्थान:—**सिवान ।**

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय,
सीवान ।

09-08-2026